अविलंब निर्गत

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन

सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

बिहार सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन सं0–3

विस्तृत हिन्दी प्रतिवेदन के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें

अविलंब निर्गत

प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र), जो बिहार सरकार से संबंधित है, राज्य विधान मंडल के समक्ष .....2021 को प्रस्तुत किया गया।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ***भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना*** तथा ***महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्यन*** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा, ***बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली*** और ***क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) निधि का उपयोग*** पर दो दीर्घ कंडिकाएँ और पथ निर्माण विभाग पर एक लेखापरीक्षा कंडिका के निष्कर्ष शामिल हैं।

भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना

भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना का उद्देश्य सशस्त्र सीमा बल को सीमा पर स्थित चौकियों के मध्य समुचित संपर्कता, त्वरित गतिशीलता एवं प्रभाव प्रदान करना था। मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं–

- विभाग ने दावा किया कि परियोजना के लिए 2759.25 एकड़ भूमि के विरुद्ध 2497.64 एकड़ (91 *प्रतिशत*) अधिग्रहण किया जा चुका था। हालाँकि, भूमि का अधिग्रहण वास्तव में पूरा नहीं हुआ था क्योंकि दाखिल–खारिज प्रक्रिया पूरी न होने के कारण स्वामित्व को वैधानिक रूप से सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया था।
- एक जिले (पूर्वी चंपारण) में, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह से कालातीत हो गयी थी एवं भूमि अधिग्रहण के लिए आपातकालीन प्रावधान के तहत विलंब से आवेदन करने के कारण लागत में ₹1375.33 करोड़ (158 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई और इससे परियोजना में न्यूनतम पाँच वर्षों का विलंब हुआ था।
- भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण ₹104.33 करोड़ का अधिक भुगतान और वास्तविक दावों के सत्यापन को सुनिश्चित किये बिना भू–स्वामियों को ₹45. 36 करोड़ का अधिक भुगतान के मामले पाये गये थे। फर्जी दस्तावेज पर ₹2.36 करोड़ का धोखाधड़ी से भुगतान, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा

₹20.84 करोड़ के स्थापना शुल्क का कम प्रेषण आदि जैसे मामले भी पाए गए थे।

- विभाग ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 552.29 कि.मी. के पूरे खंड के लिए सड़क निर्माण की संविदा आवंटित की थी।
- 15 खंडों में से 10 खंडों (396.975 कि.मी.) में संवेदकों ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण काम रोक दिया था, जिसमें से एक खंड (24.05 कि.मी.) में एकरारनामा को रद्द कर दिया गया था, जबकि नौ खंड (372.92 कि.मी.) मध्यस्थता/न्यायाधिकरण मामलों से प्रभावित थे।
- भारत नेपाल सीमा सड़क निर्माण में 121 में से 101 पुल (84 *प्रतिशत*) निर्मित हो चुके थे एवं 20 का कार्य प्रगति पर था। इसके अलावा, भौतिक रूप से सत्यापित 29 पुलों में से 23, भूमि अधिग्रहण के मामले, सड़कों के अधूरे निर्माण और इन पुलों के संरेखण से बाहर होने के कारण संपर्क विहीन थे।
- पुलों पर कुल ₹928.77 करोड़ खर्च हुए थे। इनमें से 31 पुलों की दोष दायित्व अवधि समाप्त हो चुकी है। दोष दायित्व अवधि के समाप्त हो जाने और पुलों को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित नहीं किये जाने के कारण इन पुलों और इसके संपर्क पथों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा था।
- अतिक्रमण मुक्त खंड पर चल रहे काम को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक और शेष खंड के लिए 31 दिसंबर 2022 तक समय–अवधि विस्तारित की गयी थी। अक्टूबर 2020 तक केवल 24.20 कि.मी. (दो खंड) सड़कों का निर्माण (4.38 *प्रतिशत*) किया जा सका था।
- दस साल की अवधि में 64 *प्रतिशत* सीमा चौकियाँ मुख्य संरेखण से नहीं जुडी थी, जो सशस्त्र सीमा बल की गतिशीलता को प्रभावित कर रहे थे। परियोजना अपने सर्वकालिक सम्पर्कता प्रदान करने के उदेश्यों की पूर्ति में अधूरी रही थी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना और आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से टिकाऊ और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का सृजन करना था। मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

- सभी संभावित काम चाहने वाले विशेष रूप से योजना के अंतर्गत के भूमिहीन आकस्मिक श्रमिकों के पंजीकरण हेतु पर्याप्त सुधार की जरूरत थी।
- यद्यपि 88.61 लाख की संख्या के साथ बिहार देश में सर्वाधिक भूमिहीन आकस्मिक श्रमिकों वाला राज्य था, जिसमें से 60.88 लाख (69 *प्रतिशत*) का

सर्वेक्षण किया गया था और मात्र 3.34 *प्रतिशत* (90,161 इच्छुक भूमिहीन परिवारों में से 3,007 को) को जॉब कार्ड निर्गत किया गया था।

- नमूना–जाँचित जिलों में, एक *प्रतिशत* से भी कम रोजगार के इच्छुक परिवारों को (22,678 इच्छुक परिवारों में से 146 को) को जॉब कार्ड निर्गत किया गया था और सर्वेक्षण कार्य को बंद कर दिया गया था। संवेदनशील समूहों के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना, जो कि आवश्यक थी, नहीं बनाई गई थी।
- लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि राज्य में 2014–19 की अवधि में मात्र नौ से 14 *प्रतिशत* पंजीकृत विकलांग लोगों और पॉच से नौ *प्रतिशत* वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक) को ही इस योजना में रोजगार उपलब्ध कराया गया था।
- वर्ष 2014 और 2019 के बीच मंदी की अवधि (जुलाई से नवंबर) में 26 से 36 प्रतिशत काम की माँग के विरूद्ध मात्र दो से नौ *प्रतिशत* परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था।
- टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित लिये गये कार्यों में से मात्र 14 *प्रतिशत* कार्यों को पूर्ण किया गया था। नमूना–जाँचित ग्राम पंचायतों में, कुल 17,404 कार्यों को लिया गया था, उनमें से 11,310 कार्य (65 *प्रतिशत*) 2014–19 की अवधि में एक से पाँच वर्षों तक अपूर्ण पड़े हुए थे, जिसमें से 6,869 कार्यों (61 *प्रतिशत*) को प्रारंभ ही नहीं किया गया था।
- राज्य में 2016–18 की अवधि में विशेष क्षेत्र कार्यों के लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि बहुत ही कम थी और यह एक *प्रतिशत* से भी कम और 23 *प्रतिशत* की सीमा में थी।
- मनरेगा कार्यों का अन्य संबंधित विभागों यथा वन, कृषि, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों द्वारा लिये गये योजनाओं के साथ अभिसरण नहीं किया जा सका था।
- अमान्य/गैर–टिकाऊ कार्यों का कार्यान्वयन, अपर्याप्त सामाजिक लेखापरीक्षा कराया जाना, राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा नियमित आधार पर योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन नहीं करना, लोकपाल की नियुक्ति नहीं करना, मूल अभिलेखों का संधारण नहीं करना भी लेखापरीक्षा में पाए गए थे।
- इसके अतिरिक्त, नमूना–जाँचित इकाईयों में अप्रभावी और न के बराबर की अनुश्रवण प्रक्रिया, मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी, सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलापों का संचालन नहीं करना इत्यादि इस योजना के कार्यान्वयन में अन्य अवरोधक थे।
- संपूर्णतः, वैसे परिवार जिन्हें मांगने के पश्चात 100 दिनों का रोजगार मिला उनकी संख्या एक *प्रतिशत* से कम से लेकर तीन *प्रतिशत* तक थी एवं

2014–19 के दौरान लिए गए कार्यों में से 14 *प्रतिशत* तक ही कार्य पूण हो सके थे।

बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली

- बिहार महादलित विकास मिशन का वित्तीय प्रबंधन अप्रभावी था, जैसा कि अवास्तविक बजट आवंटन, उपयोगिता प्रमाणपत्रों को जमा नहीं किया जाना एवं नकदी के गैर समाशोधन से स्पष्ट था और कई बैंक खातों का संचालन, निधि के दुरूपयोग के जोखिम से भरा था।
- बिहार महादलित विकास मिशन बैंकों से ₹1.49 करोड़ के बैक–एंड सब्सिडी के भुगतान विवरण को प्राप्त करने में विफल रहा और इसे रोकड़ बही में संबंधित बैंकों के विरूद्ध शेष के रूप में दर्शाया गया। निधियों के संवितरण के पाँच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, बिहार महादलित विकास मिशन को बैंको से ₹1.49 करोड़ की उपयोगिता प्राप्त करना बाकी था।
- 2017–19 के दौरान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा तय किए गए 11,000 उम्मीदवारों के कुल लक्ष्य के विरूद्ध केवल 340 उम्मीदवारों (3.09 *प्रतिशत*) को नामांकित किया गया था, जिसमें से 102 प्रशिक्षु ही ₹82.29 लाख का (5.6 *प्रतिशत*) के व्यय के पश्चात् अपना प्रशिक्षण पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त, केवल 65 प्रशिक्षुओं को ही नौकरी मिल सकी।
- 2016–19 के दौरान जिलों को ₹141.21 करोड़ के कुल आवंटन के विरूद्ध सामुदायिक भवनों के निर्माण का लक्ष्य 916 था। यद्यपि, ₹32.57 करोड़ के व्यय के पश्चात् केवल 147 भवनों का पूरा किया जा सका और 161 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर था (जनवरी 2020)। शेष 608 सामुदायिक भवनों से संबंधित कार्य विभिन्न कारणों से शुरू नहीं हुए थे।

क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) निधि का उपयोग

- राज्य कैम्पा ने वर्ष 2014–18 के दौरान क्षतिपूरक वनीकरण योजनाओं के लिए उपलब्ध निधियों के विरूद्ध वार्षिक योजना में निधियों का अपर्याप्त प्रावधान किया था, जिसके परिणामस्वरूप वनीकरण के लिए राशि की उपलब्धता कम रही।
- वनीकरण योजनाओं को लागू नहीं किए जाने के कारण वर्ष 2013–14 से बकाया 54 वनीकरण योजनाओं के फलस्वरूप राज्य कैम्पा द्वारा ₹14.54 करोड़ के दायित्व का सृजन हुआ था।

- 115 क्रियान्वित योजनाओं में से आठ वनीकरण योजनाएँ (वर्ष 2011–16) एक से दो वर्ष की देरी से क्रियान्वित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹1.47 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।
- योजना में कमियों तथा राज्य कैम्पा और विभाग द्वारा पौधशालाओं के उपयोग के प्रति ढीले–ढाले रवैये के कारण इन पौधशालाओं की स्थापना पर कैम्पा कोष से ₹164.98 लाख की धनराशि का किया गया व्यय निष्फल हो गया क्योंकि अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी थी।

पथ प्रमंडल, गया पर लेखापरीक्षा कंडिका

- अभियंता प्रमुख द्वारा निर्गत अनुदेशों का उल्लंघन कर संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गया द्वारा मानपुर, गया (निकटतम खदान) के स्थान पर कोडरमा, झारखण्ड से स्टोन चिप्स लाने की अनुमति देने के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹2.73 करोड का परिहार्य व्यय हुआ था।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार,पटना

अधिकारी का नाम जिनसे विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है:–

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अधिकारी का नाम एवं पदनाम
प्रतिवेदन (सा.सा. एवं आ.प्र.)	**श्री आदर्श अग्रवाल, प्रवक्ता** **उप–महालेखाकार (प्रशासन)** कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना दूरभाष संख्या:**0612-2221941** (कार्यालय) फैक्स संख्या:**0612-2506223** इस कार्यालय का बेवसाइट:**www.ag.bih.nic.in** **ई–मेल:agaubihar@cag.gov.in** **Agarwala2@cag.gov.in** **श्री कुंदन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी** **(Media Officer)** **Mobile No.-** 9431624894